उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-24/1568/26-3-2013-रिट(23)/2011

लखनऊ- दिनांक 02 दिसम्बर, 2013

कार्यालय-आदेश

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के संबंध में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/26-3-2013-रिट(23)/2011, दिनांक 07.01.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 निर्गत की गयी है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 306/26-3-2013-रिट(23)/2011, दिनांक 18.06.2013 द्वारा उक्त नियमावली के कतिपय प्रस्तरों को संशोधित किया गया है। निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या- 2668/सक/शिक्षा-अ/2013-14, दिनांक 10.10.2013 के माध्यम से प्राप्त सुझावों पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त नियमावली के निम्न प्रस्तरों को संशोधित(द्वितीय संशोधन) करते हुए निम्नवत् व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है -

क्र0 सं0	नियम संख्या	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
1	नियम 5(v)	बैंक का तात्पर्य किसी ऐसी राष्ट्रीयकृत अनुसूचित जाति बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो।	बैंक का तात्पर्य बैंकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो।
2	नियम 5(vii) (फ्री सीट)	केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या मेरिट की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सीट।	केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से व्यवसायिक/ तकनीकी/ मेडिकल पाठ्यक्रमों में आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर काउसिंलिंग के माध्यम से उपलब्ध अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सीट या इण्टरमीडिएट एवं गैर

http://shasanadesh.up.nic.in

			व्यवसायिक/गैर तकनीकी/गैर मेडिकल पाठ्यक्रमों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर भरी गयी सीट।
3	नियम 5(viii) (पेड सीट)	केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा से इतर अथवा प्रबंधकीय कोटे एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम आदि में भरी गयी सीट।	केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी स्तर से व्यवसायिक/ तकनीकी/मेडिकल पाठ्यक्रमों में आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर काउसिंलिंग से इतर अथवा प्रबंधकीय कोटे या शासकीय/गैरशासकीय संस्थानों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भरी गयी सीट।
4	नियम-7	मूल निवास के संबंध में आवेदक के निवास की तहसील के उप जिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया सामान्य निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।	प्रदेश के अन्दर वितरित की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का अंकन होने पर पृथक से सामान्य निवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र(जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद उ0प्र0 की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।
5	नियम-12(i)	इस योजना में अर्ह छात्रों को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा निशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था को नियमानुसार शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस योजना में नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा बजट	इस योजना में अर्ह छात्रों को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था को नियमानुसार शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस योजना में नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

		सीमा के अन्तर्गत और नियमावली की प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र के बैंक खाते में Reimburse की जायेगी।	नियमावली की प्रक्रिया के अनुसार छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र/छात्रा के बैंक खाते में जनपद कोषागार से ई-पेमेंट(e-payment) प्रक्रिया के तहत NEFT/ RTGS के माध्यम से reimburse की जायेगी।
6	नियम-12(ii)	अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र परिशिष्ट ख पर संलग्न निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सूचनायें भरकर दो प्रतियां परिशिष्ट ग के अनुसार सभी वांछित संलग्नकों सहित परिशिष्ट घ के अनुसार शपथ पत्र संबंधित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत करेगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट च के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।	सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र परिशिष्ट ख के अनुसार इंटरनेट के माध्यम से आनलाइन भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। तदोपरान्त प्रिन्ट आउट के साथ आवश्यक डाक्यूमेन्ट परिशिष्ट ग के अनुसार तथा परिशिष्ट घ के अनुसार शपथ पत्र संबंधित शिक्षण संस्था में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद तीन कार्य दिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से जमा किया जायेगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट च के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

7	नियम-12(iii)	अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र में संलग्न आय व निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाइट से तथा अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न् समिति द्वारा की जायेगी- 1- संस्था प्रमुख/निदेशक/ प्राचार्य/ प्रधानाचार्य - अध्यक्ष 2- संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक - सदस्य 3-संस्था के वरिष्ठतम अनु0 जाति के प्राध्यापक - सदस्य अथवा संस्था के वरिष्ठतम अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक अथवा उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक	अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी- 1-संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/ प्रधानाचार्य- अध्यक्ष 2- संस्था के वरिष्ठतम प्राध्यापक- सदस्य 3- संस्था के वरिष्टतम अनु0जाति के प्राध्यापक- सदस्य अथवा संस्था के वरिष्ठतम अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक(अनु0जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में) अथवा उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु0जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)
8	नियम-12(iv)	उपरोक्त समिति पर संस्तुत छात्रों का निर्धारित विवरण विभाग द्वारा तैयार कराये गये साफ्टवेयर के डाटाबेस में फीड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। डाटा	उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का निर्धारित विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का ही होगा। संस्थान द्वारा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट

http://shasanadesh.up.nic.in

		की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व भी संस्था का ही होगा। फीड कराये गये डाटा की हार्ड एवं साफ्ट कापी (सी0डी) के साथ परिशिष्ट छ के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र तथा परिशिष्ट ज के अनुसार रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सहित संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित सक्षम जनपदीय या क्षेत्रीय अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।	(समस्त संलग्नकों सहित), आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्ड कापी, परिशिष्ट छ के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र तथा परिशिष्ट ज के अनुसार रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सहित संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित सक्षम जनपदीय या क्षेत्रीय अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/गलत/अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
9	नियम-12(vi)	शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता एवं आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात उपर्युक्त डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्टकापी (सी0डी) अपनी संस्तुति सहित निर्धारित तिथि से पूर्व छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को प्रेषित की जायेगी।	शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता एवं पाठ्यक्रम हेतु अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा आनलाइन डाटा की हार्ड कापी अपनी संस्तुति सहित निर्धारित तिथि से पूर्व छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।
10	नियम-12(vii)	जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है - 1-जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी- अध्यक्ष 2-जिला विद्यालय निरीक्षक- सदस्य 3-जिला समाज कल्याण अधिकारी-	जनपद स्तर पर सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है - 1-जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी- अध्यक्ष 2-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी- सदस्य 3-जिला विद्यालय निरीक्षक- सदस्य 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी-

http://shasanadesh.up.nic.in

		सदस्य सचिव यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, जिसमें अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है, की स्वीकृति प्रदान करेगी।	सदस्य सचिव यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, जिसमें अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है, की स्वीकृति प्रदान करेगी।
11	नियम-12(viii)	छात्रवृत्ति की स्वीकृति के उपरान्त संबंधित डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्वीकृत आदेश सहित निर्धारित तिथि से पूर्व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को प्राप्त करायी जायेगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर पर डाटा को प्रोसेस कराकर निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डाटा को आनलाइन संस्तुत किया जायेगा। निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से समन्वय कर इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन जनपदवार मांग पत्र तैयार कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी आन लाइन डाटा संस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक छात्र-छात्रा के बैंक खाता एवं बैंक शाखा के आई0एफ0 एस0 कोड का मिलान कर लेगें। आन लाइन जनपदवार मांग सृजित होने के उपरान्त निदेशालय द्वारा बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि कोषागार के माध्यम से जनपदों को आवंटित की जायेगी।
12	नियम-12(x)	अभ्यर्थी को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले गये उसके बचत खाते में सीधे अंतरित की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की	अभ्यर्थी को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले गये उसके बचत खाते में जनपद कोषागार से ई-पेमेंट(e-payment) प्रक्रिया के तहत NEFT/

http://shasanadesh.up.nic.in

		धनराशि का भुगतान प्रतिवर्ष या निर्धारित अंतराल पर, जैसा भी लागू हो, किया जायेगा।	RTGS के माध्यम से अंतरित की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रतिवर्ष या निर्धारित अंतराल पर, जैसा भी लागू हो, किया जायेगा।
13	नियम-12(xi)	बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनको उपलब्ध करायी गयी धनराशि समय से छात्रों के बैंक खातों में स्थानान्तरित करें, यदि किसी कारणवश धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे समाज कल्याण विभाग के नोशनल खाते में यथाशीघ्र वापस करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा वापस की जा रही धनराशि का छात्रवार पूर्ण विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त धनराशि के विवरण को तत्काल जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा। इस समस्या के निराकरण हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होगें।	इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्रा के बैंक खाते में जनपद कोषागार से ई-पेमेंट(e-payment) प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS के माध्यम से सीधे अन्तरित की जायेगी जिसका दायित्व मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा। छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में धनराशि अंतरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न् होती है तो उसका निराकरण जिलाधिकारी स्तर से किया जायेगा।
14	नियम-13(i)	संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।	संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भरे जाने वाले आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
15	नियम-13(ii)	जिला समाज कल्याण अधिकारी व	वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य स्तरीय

http://shasanadesh.up.nic.in

		जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रथम किश्त की धनराशि प्रथम चरण में जनरेट कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराकर निर्धारित तिथि के अन्दर मांग की जायेगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर एवं वेबसाइट को राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा लाक कर दिया जायेगा।	एन0आई0सी0 के सहयोग से अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग सृजित(जनरेट) कराकर निर्धारित तिथि के अन्दर जनपदों को कोषागार के माध्यम से धनराशि आवंटित की जायेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा पूर्णतया लाक कर दिया जायेगा।
16	नियम-13(iii)	एन0आई0सी0 में अपलोड कराये गये छात्रवृत्ति डाटा के आधार पर साफ्टवेयर द्वारा तैयार किये गये अनुसूची के द्वारा अनुरक्षण भत्ता एवं निर्धारित देय शुल्क की धनराशि की प्रथम किश्त संबंधित छात्र के बैंक खाते में निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवश्य अन्तरित करा दी जायेगी। उस वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पश्चात परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा आदि में सम्मिलित होने के पश्चात अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय चरण में जनरेट कराकर वेबसाइट पर अलग से निर्मित साफ्टवेयर पर अपलोड कराकर प्रदर्शित होने पर निदेशक, समाज कल्याण से मांग की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की	उक्तानुसार आनलाइन सृजित मांग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेंट प्रकिया के तहत NEFT/RTGS के माध्यम से मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में धनराशि अवश्य अंतरित कर दी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

		केवल द्वितीय चरण की धनराशि को ही वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक संबंधित साफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा व उक्त साफ्टवेयर को निर्धारित तिथि पर एन0आई0 सी0 लखनऊ द्वारा पूर्णतया लाक कर दिया जायेगा। द्वितीय चरण की मांग की धनराशि निर्धारित अंतिम तिथि तक जनपदों को प्रेषित की जायेगी। किसी भी जनपद की जंक डाटा आदि के निवारण के पश्चात अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अपरिहार्य हो, तो संबंधित प्रकरण में निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 की अनुमति के पश्चात राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा अपलोड की कार्यवाही की जायेगी।	
17	नियम-13(iv)	शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय चरण की धनराशि को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यथा सम्भव माह मार्च के अन्त से पूर्व छात्रों के बैंक खाते में अन्तरित करायी जायेगी।	छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।
18	नियम-18(i)	अन्य प्रान्तो में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा- (i) छात्र जिस जनपद का मूल निवासी है, उसी जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संस्था द्वारा	अन्य प्रान्तों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नम्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा-- (i) अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन पत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

		संस्तुति सहित भेजा जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों, संलग्नक समस्त प्रमाण पत्रों एवं संबंधित छात्र का स्थानीय स्थलीय सत्यापनोपरान्त स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही इस नियमावली में अंकित व्यवस्थाओं के अनुरूप उस जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा की जायेगी, जो नियम-12(vii) के अन्तर्गत गठित की गयी है।	की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी। छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से आनलाइन परिशिष्ट ग पर भरा जायेगा। छात्र/छात्रा द्वारा समस्त प्रविष्टियों को आनलाइन सही-सही भर कर उसका प्रिन्ट आउट लिया जायेगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ परिशिष्ट घ के अनुसार समस्त संलग्नकों तथा परिशिष्ट च के अनुसार शपथ पत्र सहित संबंधित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट छ के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी। छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचना को अभिलेखों के आधार पर संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित किया जायेगा तथा सत्यापित डाटा का विवरण हार्ड कापी के साथ परिशिष्ट ज के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र तथा परिशिष्ट झ के अनुसार रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सहित तथा संस्था प्रमुख की संस्तुति सहित संबंधित संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के स्थायी निवास के जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा, जिसको जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यक जांचोपरान्त जिला स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति

http://shasanadesh.up.nic.in

			समिति से अनुमोदन प्राप्त कर इंटरनेट के माध्यम से मांग सृजित(Generate) की जायेगी। अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए धनराशि अंतरण की प्रक्रिया प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी। छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति उनके बैंक खाते में सीधे जनपद कोषागार से ई-पेमेंट(e-payment) प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।
19	नियम-18(iii)	प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा समुचित साफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा।	प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का आनलाइन विवरण समाज कल्याण विभाग द्वारा अलग तैयार किया जायेगा।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-1568(1)/26-3-2013 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजें तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

4. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

5. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

8. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

9. वित्त(व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0डी0 कल्याण)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in